

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ**

**पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या : 60/2024

दायर दिनांक : 10/12/2024

निर्णय दिनांक : 09/06/2025

**उनवान**

1. लेहरू पुत्र चतरभुज जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. हजारी पिता छोगालाल जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
2. शंकरलाल पिता रतनलाल जाट निवासी लुणेरा तहसील कपासन
3. कन्ना पिता गंगाराम गाडरी निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
4. गणपत पिता मिदूलाल महाजन निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
5. माधु पिता रामा गाडरी निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
6. धन्नी पत्नी छगनलाल जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
7. हरिसिंह पिता लालूसिंह राव निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

**: निर्णय :**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 7 का नाम हटाया जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अ.सं. 7 के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 7 का नाम हटाया जाता है। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम लुणेरा के खाता सं. 302 की हाल आ.सं. 1345 रकबा 0.25 है., आ.सं. 1346 रकबा 0.03 है., आ.सं. 1363 रकबा 2.90 है. आ.सं. 1364 रकबा 0.33 है. भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(राजेश सुवालका)   
सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
भूपालसागर